"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 262] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2002—आश्विन 25, शक 1924

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक 975/परिवहन/2002/क्रमांक सीजी/एमपी/आरए/1/2002.— यत: दिनांक 1 नवम्बर 2000 को नवीन छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होने के कारण, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य यात्री यानों और माल यानों को चलाने के लिये अन्तर्राज्यिक अनुज्ञापत्रों की मंजूरी देने और या प्रतिहस्ताक्षर करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के बीच पारस्परिक परिवहन करार निष्पादन की आवश्यकता उद्भूत हुई है.

और यत: दोनों राज्यों की सरकारें भी सहमत हैं कि नवीन यानों को चलाने के लिये अन्तर्राज्यिक अनुज्ञापत्रों की मंजूरी देने और या प्रतिहस्ताक्षर करने के लिये एक नया करार किया जाये.

अतएव करार का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे कि मध्यप्रदेश सरकार, मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 88 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जारी करना प्रस्तावित करती है, उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार ऐसे व्यक्तियों की, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है, जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारुप करार कर विचार किया जायेगा और यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व उसके संबंध में किन्हीं भी आपत्तियों पर, जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्राप्त हों, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग द्वारा दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर स्थित कक्ष क्रमांक 209 में तारीख 22-11-2002 को सुबह 11.00 बजे विचार किया जायेगा.

आपत्तियां या सुझाव यदि कोई हो, दो प्रतियों में सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग को संबोधित होना चाहिये.

प्रारूप करार

छत्तीसगढ़ सरकार और मध्यप्रदेश सरकार के बीच पारस्परिक परिवहन करार—

यह करार प्रथम पक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल (जिन्हें इसमें आगे "छत्तीसगढ़" कहा गया है और जिसमें पदासीन उनके उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) और द्वितीय पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें आगे "मध्यप्रदेश सरकार" कहा गया है और जिसमें उनके उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) के बीच आज तारीख 8-8-2002 ईसवी तद्नुसार को शक संवत् 1924 को निम्नलिखित करार किया गया है :—

यत: देश के त्वरित आर्थिक विकास तथा छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश राज्य की समीपस्थता को ध्यान में रखते हुए, यह समीचीन समझा गया कि उक्त दोनों राज्यों के बीच यात्रियों और माल के लम्बी दूरी के अतर्राज्यिक परिवहन को प्रोत्साहित किया जाये और उनके प्रचालन को विनियमित, समन्वित और नियमित, नियंत्रित किया जाये.

यत: दोनों पक्ष आपसी करार द्वारा एक नया करार करने के लिये सहमत हैं.

अब उक्त पक्षों के द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है :—

यह कि, पारस्परिक परिवहन करार अधिसूचित दिनांक से प्रवृत्त होगा तथा उस समय तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि दोनों राज्यों के बीच एक नया करार या उसका पुनर्विलोकन न हो जाये या दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को छह मास की सूचना देकर विद्यमान करार को विखंडित नहीं कर दिया जाये.

1. **कराधान :**

(क) विभिन्न वर्गों के अनुज्ञापत्रों पर प्रचालित विभिन्न प्रकार के यानों के संबंध में पारस्परिक करारकर्त्ता राज्यों के करों का भुगतान संबंधित राज्यों के कराधान अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा.

(ख) खण्ड-11 में वर्णित मुक्त जोन मार्गों पर अनन्यत: चलने वाली मंजिली गाड़ी, ठेकागाड़ी, शिक्षा संस्था की बसों तथा मालयानों को पारस्परिक राज्य में मोटरयान कर से पूर्ण छूट प्राप्त होगी.

(ग) एक राज्य में पंजीबद्ध एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 87 (1) (सी) में अस्थाई परमिट से आच्छादित संविदा वाहन पर पारस्परिक राज्य में आरक्षित/मंजिली प्रक्रम वाहन/ओमिनी बस के रूप में देय स्पेयर कर से छूट प्राप्त होगी, परन्तु दूरी के आधार पर देय कर भुगतान योग्य होगा.

(घ) वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने वाले यानों से भिन्न सभी प्रकार के मोटरयानों को, जो अनन्यत: एक राज्य के स्वामित्व द्वारा और सरकार के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जायें, पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य में उद्ग्रहण समस्त करों के संदाय से छूट प्राप्त होगी.

2. **करों के संदाय का ढंग :**

(क) अनुज्ञापत्र जारी करने वाला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी अस्थायी अनुज्ञापत्र या विशेष अनुज्ञापत्र को जारी करने के पूर्ण पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य के समस्त कर अग्रिम रूप से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नाम पर लिखे गये डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा संदत्त कर दिये गये हैं. कर का अग्रिम भुगतान करने पर दोनों में कोई भी राज्य चेक पोस्टों पर अपने करों की वसूली की अपेक्षा कर सकेगा.

(ख) प्रत्येक डिमाण्ड ड्राफ्ट का क्रमांक और रकम, जिसके माध्यम से प्रचालक द्वारा अन्य राज्यों के करों को प्रेषित किया जा चुका है, अस्थायी अनुज्ञापत्र/विशेष अनुज्ञापत्र के मुख्य पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से पृष्ठांकित की जायेगी.

(ग) समस्त अस्थायी अनुज्ञापत्रों तथा विशेष अनुज्ञापत्रों की प्रतियां स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नाम पर लिखे गये डिमाण्ड ड्राफ्ट और अन्य सुसंगत जानकारी के साथ निम्नलिखित निदर्शन पत्र (प्रोफार्मा) में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारी को पारस्परिक राज्य द्वारा तुरन्त भेजी जायेगी. दोनों राज्यों के डिमाण्ड ड्राफ्ट परिवहन आयुक्त (संबंधित राज्य) के नाम पर बनाये जायेंगे.

अनु.	यान के स्वामी नाम तथा पता	अनुज्ञापत्र क्रमांक तथा यान क्रमांक	यान का सकल यान की बैठक क्षमता	अनुज्ञापन की वैधता		बैंक ड्राफ्ट क्रमांक और रकम
				तारीख से	तारीख तक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

3. **मालयान (मूल अनुज्ञापन) :**

(क) यह करार किया गया कि प्रत्येक राज्य से संबंधित मालयानों के लिये बिना संख्या के प्रतिबंध के संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकारी की सिफारिश पर अन्य राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञापत्र प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे. ऐसे प्रतिहस्ताक्षर प्रत्येक राज्य द्वारा पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य के समस्त अनुज्ञान के लिये मंजूर किये जायेंगे.

(ख) प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्रों के अधीन प्रचालित होने वाले मालयानों का उपयोग अनन्यत: पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच माल को चढ़ाने और उतारने के लिये नहीं किया जायेगा, अर्थात् ऐसे मामलों में यानों को अनन्यत: प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर माल के परिवहन का कोई भी कारोबार करने से प्रतिबंधित किया जायेगा और वे ऐसी शर्तों के अधीन होंगे जैसी मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 तथा 84 के अधीन संबंधित परिवहन प्राधिकारी अधिरोपित करना उचित समझे.

4. **अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी करने के लिये साधारण सहमति :**

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (7) उपबंधित करती है कि धारा 88 (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एक प्रदेश का प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी धारा 87 के अधीन अस्थायी अनुज्ञापत्र, जो दूसरे राज्य में विधिमान्य होगा, उस राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी की सहमति से साधारणत: या विशिष्ट अवसर के लिये जारी कर सकेगा.

विधि के इस विशिष्ट उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए यह करार किया गया कि दोनों राज्यों के राज्य परिवहन प्राधिकारी इस करार के खण्ड 5, 7 तथा 8 के अनुसरण में आवश्यकतानुसार मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (1) के अधीन प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा के बिना मालयान और ठेकागाड़ियों (ओमनी बसों और मोटर केबों) के लिये अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी करने के लिये मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (7) के अधीन साधारण सहमति दे सकेंगे. इस करार के प्रवृत्त होने पर या उससे पूर्व साधारण सहमति दी जा सकेगी उसकी प्रतियां अभिलेख हेतु दोनों राज्यों द्वारा आपस में आदान-प्रदान की जायेगी.

5. **मालयान (अस्थायी अनुज्ञापत्र) :**

(क) उपरोक्त खण्ड 4 के उपबंध के अधीन रहते हुए आवश्यकतानुसार दोनों में से किसी भी राज्य द्वारा 30 दिन से अनधिक अवधि के लिये पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य के प्रतिबंधित मार्गों को छोड़कर सभी अनुज्ञान पर चलाने के लिये मोटरयान अधिनियम की धारा 87 (1) तथा 87 (2) के उपबंधों के अनुसार फेरों की संख्या पर किसी निर्बन्धन के बिना और पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य के परिवहन प्राधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के बिना मालयान अस्थायी अनुज्ञापत्र आवश्यकतानुसार जारी किये जा सकेंगे.

(ख) ये अनुज्ञापत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किये जायेंगे :—

(एक) पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य की अधिकारिकता के भीतर पूर्णत: स्थित किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच कोई माल न तो चढ़ाया जायेगा और न ही उतारा जायेगा, अर्थात् ऐसे यान अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर अनन्यत: परिवहन के किसी भी कारोबार पर चलाये जाने के लिये प्रतिबंधित रहेंगे.

(दो) प्रचालक किन्हीं भी अन्य शर्तों का, जिन्हें परिवहन प्राधिकारी मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 के अधीन अधिरोपित करना उचित समझे, पालन करेगा.

6. **ठेका गाड़ी मोटर-केब (स्थायी अनुज्ञापत्र) :**

पर्यटन और वाणिज्यिक व्यापार के विकास के हित में दोनों में से किसी भी राज्य की ठेका गाड़ी, पर्यटन टैक्सी यानों को, संख्या संबंधी किसी भी निर्बन्धन के बिना पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य के किसी भी क्षेत्र के लिये प्रतिहस्ताक्षर किया जा सकेगा.

7. **ठेका गाड़ी मोटर केब (अस्थायी अनुज्ञापत्र) :**

उपरोक्त खण्ड 4 के अधीन आवश्यकतानुसार एक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा पारस्परिक राज्य में विनिर्दिष्ट टर्मिनलों को जोड़ने वाले विनिर्दिष्ट मार्गों के लिये पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य के परिवहन प्राधिकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा के बिना ठेका गाड़ी मोटर केब के लिये अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी किये जा सकेंगे. ऐसे अस्थायी अनुज्ञापत्रों की विधिमान्यता पन्द्रह दिन से अधिक की कालावधि की नहीं होगी ऐसे अस्थायी अनुज्ञापत्र पर अन्य राज्यों को देय मोटरयान कर का संदाय डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा अग्रिम रूप में किया जायेगा. ऐसे अस्थायी अनुज्ञापत्र इस शर्त के अधीन होंगे कि एक ही पक्ष द्वारा यान किराये पर लिया जाये और केवल एक वापसी फेरा (ट्रिप) के लिये विधिमान्य होगा. तथापि, यदि किसी कारण से एक राज्य द्वारा जारी किये गये अनुज्ञापत्र की वैधता अन्य राज्य के राज्य-क्षेत्र में समाप्त होती है तो ऐसे परिवहन प्राधिकारी से जिसकी अधिकारिता में उस समय यान हो, आवश्यक फीस और करों का संदाय करने के पश्चात् एक नया अस्थायी अनुज्ञापत्र प्राप्त किया जायेगा.

8. **ठेका गाड़ी ओमनी बस (अस्थायी अनुज्ञापत्र) :**

(क) उपरोक्त खण्ड 4 के उपबन्ध के अधीन, आवश्यकतानुसार एक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य में विनिर्दिष्ट टर्मिनलों को जोड़ने वाले विनिर्दिष्ट मार्गों के लिये, उस राज्य में प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा के बिना ठेका गाड़ी (ओमनी बस) के लिये अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी किये जा सकेंगे.

(ख) ऐसे अस्थायी अनुज्ञापत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :—

(एक) ऐसे अस्थायी अनुज्ञापत्र पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य में पन्द्रह दिन से अनधिक कालावधि के लिये विधिमान्य होंगे.

(दो) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट की गई बैठक क्षमता से अधिक यात्रियों को नहीं ले जाया जायेगा और न ही खड़े रहने वाले यात्रियों को अनुज्ञात किया जायेगा.

(तीन) ठेका गाड़ी (ओमनी बस) एक ही पक्ष द्वारा किराये पर ली जायेगी और एकल वापसी यात्रा के लिये उपयोग की जायेगी.

(ग) ऐसे अस्थायी अनुज्ञापत्र में बाहर जाने की तारीख तथा वापसी यात्रा की तारीख स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जायेगी. यदि किसी अस्थायी अनुज्ञापत्र पर ठेका गाड़ी को लगाने वाला कतिपय पक्ष अनुज्ञापत्र मंजूर करने के पश्चात् वापसी यात्रा की तारीख बदलवाना चाहता हैं तो वह ऐसे परिवहन प्राधिकारी से, जिसकी अधिकारिता में उस समय ठेका गाड़ी हो, इस बाबत लिखित रूप में अनुज्ञा प्राप्त करेगा.

9. **विशेष अनुज्ञापत्र**

किसी भी राज्य के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88 (8) के अधीन जारी किये जाने वाले विशेष अनुज्ञापत्रों की संख्या पर कोई निर्बन्धन नहीं होंगे. ऐसे अनुज्ञापत्र पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य में तीस दिन से अनधिक कालावधि के लिये विधिमान्य होंगे.

10. **मंजिली गाड़ी :**

निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्तों पर करार किया गया :—

(क) मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में अन्तर्राज्यिक मार्गों पर रियायती दर कर आधार पर मंजिली गाड़ी चलाने के संबंध में पारस्परिक इन्तजाम परिशिष्ट "क" में अन्तर्विष्ट ब्यौरे के अनुसार होंगे.

(ख) प्रत्येक अन्तर्राज्यिक मार्ग पर प्रत्येक राज्य के लिदे आवंटित फेरों की संख्या यथा सम्भव प्रत्येक राज्य में पड़ने वाले माइलेज/किलो मीटर के अनुसार निर्धारित की जायेगी. इस करार के प्रयोजन के लिये किसी फेरे से अभिप्रेत होगा एक एकल फेरा/परिशिष्ट "क" में वर्णित मार्ग से सदैव अभिप्रेत होगा वर्णित मध्य मार्गों (बायाज) से होते हुए दो राज्यों में पड़ने वाले दो सीमान्तों (टर्मिनलों) को जोड़ने वाला परिशिष्ट "क" उल्लेखित मार्ग और उक्त परिशिष्ट में प्रदर्शित माइलेज/किलोमीटर में बाद में पायी गयी किसी विसंगति को दोनों राज्यों के परिवहन प्राधिकारियों के बीच तत्परता से पत्र व्यवहार के माध्यम से ठीक किया जायेगा और करार के उपान्तर के रूप में नहीं समझा जायेगा.

(ग) समय सारिणी का निर्धारण अनुज्ञापत्र मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा प्रतिहस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी अपने राज्य में समय सारणी में परिवर्तित कर सकेंगे.

(घ) प्रत्येक राज्य क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले मार्गों पर प्रचालन के लिये लिया जाने वाला अधिकतम किराया और भाड़ा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विहित किये गये अनुसार होगा, एक राज्य में जारी किये गये टिकटों का प्रारूप अन्य राज्य में विधिमान्य समझा जायेगा.

(ङ) अधिनियम तथा पारस्परिक करारकर्त्ता राज्यों के यथास्थिति, यात्री कर या मोटरयान कर से संबंधित नियमों के प्रयोजन के लिये एक राज्य के बेड़ा स्वामी छत्तीसगढ़ मोटर गाड़ी यात्री कर नियमावली 1962 के नियम 5 (ख) के लाभ का उपभोग नहीं करेंगे, अन्य राज्य के बेड़ा स्वामी के रूप में मान्यता होगी.

(च) बेड़ा स्वामियों द्वारा प्रचलित मार्गों के संबंध में ऐसे मार्गों के भागों पर यात्रियों को चढ़ाने और उतारने के लिये प्रतिहस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारियों द्वारा कोई भी निर्बन्धन अधिरोपित नहीं किये जायेंगे, अन्य मामलों में प्रतिहस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारियों द्वारा यदि आवश्यक समझा जाये, ऐसे निर्बन्धन अधिरोपित किये जा सकेंगे.

11. **मुक्त जोन :**

(क) प्रत्येक राज्य के सीमा बिन्दुओं पर या उनके निकट पड़ने वाले स्थानों पर यात्रियों और माल यातायात सुलभ बनाने की सुविधा के लिये यह आवश्यक और समीचीन समझा गया है कि दोनों राज्यों की सीमा के कतिपय बिन्दुओं पर मुक्त जोन के सृजन की व्यवस्था की जाये तथा मुक्त जोन सुविधाओं का लाभ उठाने वाले यानों के लिये, पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित नहीं होगा.

(ख) उपर्युक्त सिद्धांतों के आधार पर यह करार किया गया कि अन्तर्राज्यिक मार्गों पर पड़ने वाले प्रत्येक राज्य की सीमा बिन्दुओं पर या उनके निकट स्थित निम्नलिखित बिन्दुओं/क्षेत्रों/मार्गों को, उनके सामने वर्णित शर्तों पर मुक्त जोन के रूप में घोषित किया जा सकेगा :—

(1) स्थायी अनुज्ञापत्रों या अस्थायी अनुज्ञापत्रों में समीविष्ट मालयानों तथा मंजिली गाड़ी, ठेका गाड़ी एवं शिक्षा संस्था की बसों के लिये :—

(एक) मध्यप्रदेश में अमरकंटक धार्मिक स्थल, उसके चारों ओर 15 कि.मी. अर्द्ध व्यास के साथ.	कबीर चबूतरा की ओर से आने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के उक्त मोटरयानों के लिये.
(दो) मध्यप्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय जीव उद्यान एवं उसके चारों ओर 20 कि.मी. अर्द्ध व्यास के साथ.	चिल्पी, सूपकार की ओर से आने वाले छत्तीसगढ़ से उक्त मोटरयानों के लिये.
(तीन) छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़	लॉजी अथवा सालेटेकरी की ओर से आने वाले छत्तीसगढ़ में उक्त मोटरयानों के लिये.
(चार) छत्तीसगढ़ में कबीर चबूतरा	अमरकंटक अथवा डिंडोरी की ओर से आने वाले मध्यप्रदेश में उक्त मोटरयानों के लिये.

(ग) सुविधाजनक तथा पर्याप्त परिवहन सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से और उपरोक्त करार किये गये मुक्त जोन का द्रुत विकास करने के लिये प्रत्येक राज्य द्वारा आवश्यकतानुसार संबंधित प्रवर्गों के अनुज्ञापत्र, अपने-अपने मुक्त जोन में सेवाओं के अनन्यत: प्रचालन के लिये फेरो की संख्या पर किसी निर्बन्धन के बिना और पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य के परिवहन प्राधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के बिना जारी किये जा सकेंगे. अन्य राज्य में मुक्त जोन सुविधा का लाभ उठा रहे प्रत्येक राज्य के मोटरयानों को उपरोक्त खण्ड के उपखण्ड (घ) में वर्णित सीमा तक पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य के करों से छूट प्राप्त होगी, ऐसे यान के अनुज्ञापत्र पर उसके मुख पृष्ठ पर जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से यह पृष्ठांकित किया जायेगा कि यान को पारस्परिक करार के निर्बंधन के अधीन अन्य राज्य के संबंधित मुक्त जोन में प्रचालन के लिये अनुज्ञात किया गया है.

(घ) हस्ताक्षरकर्त्ता दोनों राज्य, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (1) के साथ पठित धारा 96 (2) (दस) के अधीन यह उपबन्ध करने के लिये कि पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य में इस प्रकार मंजूर किये गये स्थायी अनुज्ञापत्रों या अस्थायी अनुज्ञापत्र, इस खण्ड में किये गये करार के अनुसार गृह राज्य के मुक्त जोन में प्रतिहस्ताक्षर के बिना विधिमान्य होंगे, उपयुक्त नियम बनायेंगे.

12. कारीडोर का मार्ग :

छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश दोनों राज्यों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ मार्ग एक राज्य में प्रारंभ और समाप्त होने वाली बिन्दुओं के बीच अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र के किसी छोटे भाग में से होकर जाते हैं. अतएव एक राज्य के मोटरयानों को जो ऐसे मार्ग पर चलाये जाने के लिये अनुज्ञात है, संपूर्ण यात्रा पूरी करने के लिये दूसरे राज्य की उस छोटी सी पट्टी से होकर जाना पड़ेगा.

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (1) के अधीन यह उपबंधित है कि जहां किसी मार्ग के प्रारंभ होने वाले बिन्दु और समाप्त होने वाले दोनों बिन्दु एक ही राज्य में स्थित हों किन्तु ऐसे मार्ग का भाग किसी दूसरे राज्य में पड़ता हो और ऐसे भाग की लम्बाई सोलह किलो मीटर से अधिक न हो, वहां अनुज्ञापन, मार्ग के उस भाग के संबंध में जो उस अन्य राज्य में है इस बात के होते हुए भी कि ऐसे अनुज्ञापन पर, उस दूसरे राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया है, विधिमान्य होगा.

जब कभी पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा अन्य राज्य के कारीडोर मार्गों में यान प्रचालन के लिए अनुज्ञापत्र मंजूर किये जाते हैं तो ऐसे अनुज्ञापत्रों पर जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से यह पृष्ठांकित किया जायेगा कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन अनुज्ञापत्र पर प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है. जारीकर्त्ता प्राधिकारी ऐसे अनुज्ञापत्र धारकों से ऐसे कोरीडोर मार्ग की अनुज्ञापत्र स्वीकृत/जारी करते समय समस्त दूरी का संपूर्ण कर अपने संबंधित राज्य के कराधान अधिनियम एवं नियम के प्रावधानानुसार जैसे मोटरयान कर वसूल करेगा.

13. **नियम :**

एक राज्य के दूसरे राज्य में चल रहे यान (चलाने की फीस और करों से संबंधित उपबंधों को छोड़कर) अपने पैतृक राज्य के नियमों से शासित होंगे.

14. **सामान्य :**

(एक) पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य इस करार के निर्बंधनों के अनुसरण में चल रहे यान के संबंध में कर टोकनों, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्रों परिचालक की अनुज्ञप्तियों, परिवहन यान प्राधिकार बिल्ला (बैज), योग्यता (फिटनेस) आदि के प्रमाण-पत्र को मान्यता देंगे.

(दो) यान का सकल भार पारस्परिक करारकर्त्ता राज्यों में अधिकतम अनुज्ञेय सकल यान भार से अधिक नहीं होगा और अनुज्ञापत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करते समय इस प्रकार की शर्त अधिरोपित की जा सकेगी.

इसके साक्ष्य स्वरूप इसके पक्षकारों के प्रथम् में ऊपर लिखी तारीख को इस करार पर अपन हस्ताक्षर कर दिए हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सही/-
(ए. के. विजयवर्गीय)
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
परिवहन विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सही/-
(डॉ. भागीरथ प्रसाद)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
परिवहन विभाग.

परिशिष्ट "क"

अनु. क्र.	मार्ग का नाम	कि.मी.		कुल कि. मी.	करार पाये फेरों की संख्या		अनुज्ञापत्रों की निर्धारित संख्या		कुल किलोमीटर		टिप्पणी
		छत्तीसगढ़	मध्यप्रदेश		छत्तीसगढ़	मध्यप्रदेश	छत्तीसगढ़	मध्यप्रदेश	छत्तीसगढ़	मध्यप्रदेश	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	दुर्ग से रजेगांव व्हाया घुमका, खैरागढ़, लांजी	88	72	160	04	04	02	02	288	352	
2.	मलाजखंड से दुर्ग व्हाया सालेटेकरी, धमधा	106	40	146	04	04	02	02	160	424	
3.	मोहगांव से दुर्ग व्हाया सालेटेकरी,	115	40	155	04	04	02	02	160	460	
4.	भानुप्रतापपुर से बैहर व्हाया दल्ली, बालोद, राजनांदगांव, गंडई से सालेटेकरी.	210	59	269	06	06	03	03	354	1260	
5.	दुर्ग से बालाघाट व्हाया धमधा, सालेटेकरी, बैहर	113	123	236	06	06	03	04	738	678	
6.	सिवनी से रायपुर व्हाया कटंगी, वारासिवनी, बालाघाट, बैहर, सालेटेकरी.	128	215	343	06	06	03	03	1090	768	
7.	दुर्ग से बैहर व्हाया सालेटेकरी, धमधा	120	55	175	04	04	02	02	220	480	
8.	रायपुर से जबलपुर व्हाया कुमारी, धमधा, बैहर, बमनी, मण्डला, झुलसागर, निवास, कुडम.	131	255	386	04	04	04	04	1020	524	
9.	रायपुर से मण्डला व्हाया बमनी, बैहर, धमधा, कुमारी	131	168	299	04	04	04	04	672	524	
10.	रायपुर से मण्डला व्हाया बमनी, बैहर, धमधा	131	123	254	04	04	02	02	492	524	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
11.	दुर्ग से जबलपुर व्हाया धमधा, सालेटेकरी, बैहर, बमनी, मण्डला, निवास.	113	225	368	04	04	02	02	900	452	
12.	पेण्ड्रारोड से अनुपपुर व्हाया अमरकंटक	70	55	126	06	06	03	03	330	420	
13.	पेण्ड्रारोड से चाका व्हाया	67	53	120	02	02	01	01	106	134	
14.	पेण्ड्रारोड से कोतमा	62	38	110	10	10	05	05	380	620	
15.	बिलासपुर से शहडोल व्हाया कोटा, क्योंची, करीब चबूतरा, अमरकंटक.	120	110	230	04	04	02	02	440	480	
16.	पेण्ड्रारोड से धुरवासीन	75	57	132	04	04	02	02	228	300	
17	पेण्ड्रारोड से कोल्हारी	60	54	114	04	04	02	02	216	240	
18.	पेण्ड्रारोड से करंजिया	39	20	59	04	04	02	02	80	156	
19	बिलासपुर से जबलपुर व्हाया मुंगेली, पड़रिया, पोहरी, चिल्फी, गड़ी, बैहर, बमनी, मण्डला, निवास.	113	283	396	02	02	02	02	566	226	
20.	बिलासपुर से मण्डला व्हाया, कोटा, लमनी, क्योंची, कबीर चबूतरा, अमरकंटक, डिंडौरी, चाबी, मोगांव.	113	154	267	04	04	02	02	616	452	
21	बिलासपुर से जबलपुर व्हाया कोटा, क्योंची, कबीर चबूतरा अमरकंटक, डिंडोरी, सहपुरा, कुंडम	115	278	393	04	04	04	04	1112	460	
22.	शहडोल से पेण्ड्रा व्हाया वेंकटनगर	12	84	96	06	06	03	03	504	72	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
23.	शहडोल से मनेन्द्रगढ़ व्हाया, बुढ़ार, अनुपपुर, जैतहरी आमाडाड, मरवाही, ब्यौहारी, बिरियाटोला, राज्य नगर, लैदरी.	06	147	153	06	06	03	03	882	36	
24.	करपा से पेण्ड्रारोड व्हाया अमरवाहा, लादाटोला, राजेन्द्र ग्राम, करगाघाट.	06	67	73	08	08	04	04	268	24	
25.	लडेरा से मनेन्द्रगढ़ व्हाया राजेन्द्र ग्राम, अनुपपुर, कोतमा रामनगर, खोगापानी.	06	102	108	06	06	03	03	612	36	
26.	मनेन्द्रगढ़ से लीलाटोला व्हाया राजेन्द्र ग्राम, किरर, अनुपपुर, कोतमा, राजनगर, रामनगर.	06	118	124	06	06	03	03	708	36	
27.	शहडोल से पेण्ड्रारोड व्हाया बुढ़ार, चचाई, जैतहरी, वैंकटनगर.	20	110	130	08	08	04	04	880	160	
28.	मनेन्द्रगढ़ से डिण्डौरी व्हाया रामनगर, राजनगर, कोतमा, अनुपपुर, राजेन्द्र ग्राम, गाडासरई, आमाटोला, कोदर.	06	153	159	04	04	02	02	612	24	
29.	शहडोल से जबलपुर व्हाया राजेन्द्र ग्राम, अमरकंटक	50	366	414	04	04	04	04	464	200	
30.	पेण्ड्रारोड-अनुपपुर व्हाया वैंकटनगर	19	40	59	04	04	02	02	160	76	
31.	अनुपपुर-गोरेला व्हाया जैतहरी, लपहा, वैंकटनगर, लालपुर	16	42	58	08	08	04	04	336	128	
32.	हरदी-पेण्ड्रा व्हाया बुढ़ार, धनपुरी, देवहरा, सकरा, जमुंडी, अनुपपुर, जैतहरी, वैंकटनगर.	30	74	104	04	04	02	02	296	120	
33.	पेण्ड्रारोड-बेरीवारी व्हाया वैंकटनगर, आमाडाग, जैतहरी, राजेन्द्र ग्राम, डैलडोगरी, लीला.	19	111	130	04	04	02	02	444	76	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
34.	जनकपुर-जयसिंह नगर व्हाया बुडवा, पसगड़ी, ब्यौहारी बनसुपली, सीधी, कुवेरी.	06	101	107	06	06	03	03	606	18	
35.	परासी-शहडोल व्हाया बुढ़ार, अनुपपुर, कोतमा, लालपाड़ा आमाडांड, मरौद, मरवाही.	17	98	115	04	04	02	02	392	68	
36.	शहडोल से जनकपुर व्हाया दियापिपर, गोहपारू, जैसिंहनगर, झारा, कुदरी, सीधी, बाँदी.	16	81	97	04	04	02	02	324	64	
37.	सीधी-जनकपुर व्हाया चौपाल, मडवास, हरदी, भाडीसरई, देवगढ़.	03	105	108	04	04	02	02	420	12	
38.	सीधी-मनेन्द्रगढ़ व्हाया चौपाल, मडवास, पौंडी, पटेहरा, मांडीसरई, देवगढ़, जनकपुर, केल्हारी, कोठी, बीहजुरी, खेगापानी, झगराखंड.	04	191	195	04	04	02	02	764	16	
39.	मनेन्द्रगढ़-अनुपपुर	110	33	143	04	04	02	02	132	440	
40	जयसिंहनगर-कोटाडोल	10	138	148	02	02	01	01	276	20	
41.	ब्यौहरी-जनकपुर	08	240	248	02	02	01	01	480	16	
42.	रीवा-मनेन्द्रगढ़ व्हाया हरदी, गोविंदगढ़, ब्यौहारी, शहडोल	10	295	305	04	04	04	04	1180	40	
43.	तिरोडीरे, स्टे से राजनांदगांव व्हाया लांजी	77	160	237	04	04	04	04	640	308	
44.	शडोल-मनेन्द्रगढ़ व्हाया बुढ़ार, अमलई, चचाई, अनुपपुर, कयारी, बदारा, कोतमा, झिरिया, टोला, राजनगर.	06	114	120		40		20	4560		
45.	जबलपुर-कवर्धा व्हाया मण्डला	60	192	252	06	06	03	03	1152	360	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
46.	कटनी-कवर्धा व्हाया जबलपुर, मण्डला	60	284	344	04	04	04	04	1136	240	
47.	मण्डला-रायपुर व्हाया मोतीनाला	177	15	272	04	04	04	04	380	708	
48.	जबलपुर-रायपुर व्हाया मण्डला	177	192	369	10	10	10	10	1920	1770	
49.	शहडोल-जनकपुर व्हाया जैसिंगनगर	16	81	97	04	04	02	02	324	64	
50.	दुर्ग-जबलपुर व्हाया मण्डला	197	192	389	08	08	08	08	1536	1576	
51.	बिलासपुर-जबलपुर व्हाया पंडुरिया	82	259	341	02	02	02	02	518	164	
52.	कोरबा-जबलपुर व्हाया बिलासपुर, पंडुरिया	204	259	463	02	02	02	02	518	408	
53.	रायपुर-इलाहबाद व्हाया बिलासपुर, कटक, शहडोल	230 यू.पी.-45	365	640	02	02	02	02	730	460 यू.पी.-90	
54.	अंबिकापुर-इलाहाबाद व्हाया मनेन्द्रगढ़	239 यू.पी.-45	365	649	02	02	02	02	370	478 यू.पी.-90	
55.	बिलासपुर-इलाहाबाद व्हाया अमरकंटक	115 यू.पी.-45	365	525	02	02	02	02	730	230 यू.पी.-90	
56.	रायपुर-गोंदिया-सिवनी-जबलपुर	112	382	494	06	06	06	06	2302	672	
57.	शहडोल से मरवाही	10	128	138	04	04	02	02	512	40	
58.	शहडोल से मनेन्द्रगढ़ व्हाया बुढ़ार, मरजातपुर, जन्नोडी, गिरवा, सकर, केश्वाही, सेमरिया, देवगांव, पिपरिया, कोतमा, राजनगर, रामनगर, खोगापानी.	06	118	124	04	04	02	02	472	24	
	योग				260	300	164	184	38708	19118	

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

क्रमांक 975/परि.वि./2002—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 17-10-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 17th October 2002

NOTIFICATION

No. 975/Transport/2002.—Whereas in view of the formation of New Chhattisgarh state on 1st Nov. 2000, the need for a Reciprocal Transport Agreement in between Government of Chhattisgarh and Government of Madhya Pradesh has been arised with regard to grant and/or countersignature of interstatal permits for the passenger and goods vehicles plying in between Madhya Pradesh and Chhattisgarh.

And as such both the Governments hereby agree to enter into a new agreement for the grant and or renewal of interstatal permits for plying of new vehicles.

There fore, the Government of Chhattisgarh propose to issue the following drait agreement as per provision of Sub-section 5 of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988). In compliance of the said Sub-section, it is here by publish for the information of the persons who so ever may be affected.

It is here by informed that after completion of 30 days from the date of Publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette, a decession shall be taken on the draft agreement and that the objections, if any, received in connection with this, before the above stipulated date by the Chhattisgarh Government shall be considered by the Principal Secretary, Government of Chhattisgarh, Transport Department, Room No. 209 Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur, on the 22-11-2000 at 11.00 A. M.

Objection and suggestion if any shall be addressed to the Secretary, Government of Chhattisgarh, Transport Department, in two copies. Reciprocal Transport Agreement in between Government of Chhattisgarh and Government of Madhya Pradesh.

The following agreement has been made today the 8-8-2002 in between the Governor of Chhattisgarh (To whom here in after called as "Chhattisgarh" and in which includes his successor also) as the *1st party and the Governor of Madhya Pradesh (to whom here in after called as "Madhya Pradesh" and in which includes his successor also) as the 2nd party.

That in view of the fast economic development of the Country and also keeping in mind the mearness of both the states it is considered expedient to encourage the long distance interstate transport of passanger and goods, and to regularise and control the same.

That both the parties are mutually agreed to enter into a new agreement. Now both the parties have accordingly made the following agreement in between them :—

That this reciprocal agreement shall come into force from Notified date 2002 and shall be valid till such time as a new agreement is arrived in between the two states or till the revival of the same or unless the existing one is rescinded after issue of six month's notice on either side.

1. TAXATION :

(a) Tax for diferent types of vehicles plying under the different Permits in the reciprocating state shall be paid in accordance with the provision of the Taxation Act and rules of the concerned State.

(b) As mentioned in clause 11 all the Stage Carriage, Contract Carriage, School buses and goods vehicle plying on the free zone shall be fully exempted from payment of Motor vehicles tax in the reciprocating state.

(c) Vehicle registered is one State and covered under the temporary permit issued u/s. 87 (i) (c) shall be exempted from payment of spare tax payable as reserve/stage carriage/Omni bus, but the tax is payable on the basis of the distance to be covered in reciprocating State.

(d) Vehicles other than used for commercial purpose and owned by a State Government and used for Government work shall be exempted from all the taxes leviable in the reciprocating State.

2. METHOD OF PAYMENT OF TAX :

(a) The permit issuing Authority shall ensure that before issuing any temporary permit or special permit, all the taxes of the reciprocating state are duly paid in advance by demand drafts drawn in the name of State Bank of India. In the event of non-payment of tax in advance, checking Authority of either state shall take action to recover the tax at the check post.

(b) S. No. and amount of each demand draft through which the operator has made the payment of tax of other State shall be endorsed clearly on the face of the temporary permit/special permit.

(c) Copies of all temporary permits and special permits and the demand drafts drawn in the name of State Bank of India along with other relevant details in the following proforma shall be sent immediately to the Secretary State Transport Authority by the reciprocating State demand drafts or both the States shall be drawn in favour of the Transport Commissioner of the State concerned :—

S. No.	Name and address of the owner	Permit No. & vehicle No.	RLW/S.C. of the Vehicle	Validity of the point		Bank draft No. and date.
				From dt.	To date	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

3. GOODS VEHICLES (SUBSTANTIVE PERMIT)

(a) It has been agreed that the Permits for goods carrier belonging to each state shall be countersigned by the State Transport Authority of either State without any restriction in the numbers such countersignature shall be granted by each state for plying of the vehicle in the entire area of reciprocating state.

(b) Goods carriers operating under countersignature shall not be used for picking up and setting down goods between any twopoints lying exclusively within the territory of the reciprocating state i.e. in such cases vechicles shall be prohibited from carrying on any business of Transporting goods exclusively within the territory of the other State and shall be subject to the conditions imposed u/s. 79

and

84 of the Motor Vehicle Act, 1988 as the concerned Authority may deem fit to impose.

4. GENERAL CONCURRENCE FOR GRANT OF TEMPORARY PERMITS.

Sections 88 (7) of the motor vehicle Act, 1988 provides that not withstanding any thing contained in Sub-section (i) of Sections 88, a Regional Transport Authority of one region may issue temporary permit u/s. 87 to be valid in another

state with the concurrence generally or for the particular Ocassions, of the Regional Transport Authority of that other State.

Keeping in view this special clause of the Motor Vehicle Act it is agreed that according to need as per clause 5, 7 and 8 of this agreement the state Transport Authorities of both the States may give general concurrence for grant of temporary permit u/s. 88 (7) of the Motor Vehicle Act, 1988 for goods vehicle and contract carriages (Omni bus and Taxi cabs) without the necessity of counter signature. If such a general concurrence as required u/s. 88 (1) of the said Act is given after or before the implementation of this agreement copies of such concurrence will be handed over in between each other State.

5. GOODS VEHICLE (TEMPORARY PERMIT) :

(a) In accordance with the provision of clause 4 above temporary permits as per need for a period not exceding 30 days may be issued to goods vehicles by either state for operation in the entire area excepting on the restricted routes of the reciprocating state u/s. 87 (1) and 87 (2) without restriction on the number of trips and without countersignature of the reciprocating state.

(b) These temporary permit shall be issued subject to the following conditions :—

(1) That no goods shall be picked up or set down between any two point lying wholly within the jurisdiction of the reciprocating State i.e. such Vehicles shall be prohibited from carrying on any business of transport exclusively within the territory of the other State.

(2) That the operator shall comply with any other conditions that may be imposed by the Transport authority u/s. 79 of the M-V's Act, 1988.

6. CONTRACT CARRIAGE (MOTOR CAB, SUBSTANTIVE PERMIT) :

In the interest of tourist and commercial trade, contract carriages (Motor Cabs) Tourist taxi cabs of either state may be countersigned for any area of the reciprocating State without restriction in the numbers.

7. CONTRACT CARRIAGES (MOTOR CAB) (TEMPORARY PERMIT) :

As per provision of clause 4 above, a Transport Authority of either State may grant temparary permits for the specified routes connecting the terminals of the reciprocating State to be valid without countersignature, to Contract Carriages-Motor Cabs as per need. The validity of such temparary permits shall not be more than 15 days and that the tax payable to other State shall be paid in advance through demand draft. Such temporary permit shall be issued for a single trip only and shall be subject to the condition that the hirer of the vehicle shall be a single party. However, in the event of validity of the temporary permit issued by one State expires in the territory of the other State due to some reasons a fresh temporary permit shall be obtained from the Transport Authority within whose jurisdiction the vehicle happens to be at that time after payment of necessary fees and taxes.

8. CONTRACT CARRIAGE-OMNI BUS (TEMPORARY PERMITS) :—

(a) As per provision of clause 4 referred to above temporary permits as per need may be issued for Contract Carriages (Omni bus) by the Transport Authority of one State for the specifice routes connecting the specific terminals of the reciprocating State to be valid without countersignature.

(b) Such temporary permit shall be issued subject to the following conditions :—

(i) Such temporary permit shall not be valid for not more than 15 days, in the reciprocating State.

(ii) Passangers in excess of the seating capacity than specified in the registration certificate shall not be carried and that no standing passanger shall be allowed.

(iii) The contract carriage (Omni bus) shall be hired by a single party and shall be used for a single return trip only.

(c) In such temporary permits the date of the up ward and the date of the return Journey shall be clearly mentioned. In case a partly engaging a contract carriage on a temporary permit wishes to change the date of return journey subsequent to the grant of permit, it shall obtain permission in writing to that effect from the Transport Authority within whose jurisdictions the contract carriage heppens to be at that time.

9. SPECIAL PERMIT :

There shall be no restriction in the issue of special permits u/s. 88 (8) of the Motor vehicles Act by the Transport Authority either State. Such permit shall not be valid for a period of 30 days in the reciprocating state.

10. STAGE CARRIAGES :

(a) The following general Principales are agreed to :—

Agreement in regard to the operations of stage carriages on interstatal routes between Madhya Pradesh and Chhattisgarh, on consessional rate of tax shall be according to the details contained in appendix "A".

(b) The number of trips for each state an interstate routes will be fixed as for as possible according to the millage/kilometer falling in each State. A trip for the purpose of this agreement means one single trip. The routes mentioned in appendix "A" means the rents connecting the two terminals lying in the two states through vias mentioned in the appendix "A". and any discriency discovered in the mileage/kilomiter shown in the said Appendix shall promptly be corrected through correspondence between the two State Transport Authorities and shall not be treated as any modifications of the Agreement.

(c) Time table shall be fixed by the permit granting Authority and the countersigning Authority may made necessary change in timings their State.

(d) The maximum fare and freight chageble shall be as prescribed by the respective state governments for the operation of the routes lying within the territory ofeach state. The from of Ticket issued in one State shall be deemed to be valid in the other State.

(e) Status-quo of Act and Reciprocating States. So for as the use of rules and regulations of passenger tax and Motor vehicles tax is concerned, fleet owners of one state is not entitled to get the benifit of rule 5 (b) of Chhattisgarh Motorgadi Yatrikar Niyamavali, 1962. They shall be recognised as fleet owner of other State.

(f) The countersigning. Authority shall not impose any restrictions with regard to picking up and setting down passengers on the Part portion of the routes operated by the fleet owners. In other cases, the countersigning Authority if think proper, may impose such restrictions.

11. FREEZONE :

(a) In order to provide facilities to make convenient the transport ation of passengers and goods in the two terminal points or it's near by areas of each State, it has been considered necessary to make arrangement for the creations of free zone on the terminal point of both the State and that the vehicles which wants to valid the advantage of free zone needs no countersignature by the neciprocating state.

(b) According to the above principles, it has been agreed that the following points/area/routes situated in the terminal points or it's near by areas of the inter stateal routes of each state be declared as free zone subject to the conditions as mentioned against each :—

(1) For goods vehicles, statge carriages, contract carriages and educational buses included in the regular or temporary permits :—

(i)	Amarkantak pilgrims Plance and it's 15 Kms. radius.	For the vehicles of Chhattisgarh entering through Kabir Chabuthara.
(ii)	Kanhakisli National park and it's 20 Kms. radius.	For the vehicle of Chhattisgarh entering through Chilphi Supkar.
(iii)	Dongargarh in Chhattisgarh	For the vehicles of Madhya Pradesh entering through Lanji or Saletekri.
(iv)	Kabir Chabuthara in Chhattisgarh	For the vehicles of Madhya Pradesh entering through Amarkantak or Dindori.

(c) In order to provide comfort and adequate transport facilities and for the speedy development of the above agreed free zone, each state shall grant permits as per need for the vehicles of the respective categories for operations in the free zone of each State without the counter signature of the reciprocating State. Vehicles of each state which are avaling benefit of free zone facility in the other state shall be free from payment of tax of the reciprocating State for operation of the vehicles with in the limit of the areas as mention is the Sub-clause (1) (i) to (iv). In the permit of such vehicles, the granting Transport authority shall clearly mention that vehicle is permitted to ply in the free zone of the other State as per terms of the reciprocal Agreement.

(d) Signing Authorities of both the States u/s. 88 (i) read with Section 96 (2) (ten) of the Motor vehicles Act, 1988 agreed to make this provisions that such temporary and regular permits granted in the reciprocating State shall be valid in the free zone of the Home State without counter signature as per the agreement made in this clause. Necessary rules shall be framed.

12. CORRIDOR ROUTE :

Taking into cnsideration of the geographical situation of Chhattisgarh and Madhya Pradesh same routes which starts in one state and in between the end of the route within the same state some small portion of the route passes through other state.The vehicles which are permitted to ply or such routes have to pass thorugh that small portions of the route lying in the other State to complete the journey.

As provided u/s. 88 (i) of the Motor vehicles Act, where both the starting point and the terminal point of a route are situated within the same state but a part of the route lies in other State and the length of such part does not exceed Sixteen Kilo meters then the permit shall be valid in other state in respect of that portion of the route which is in that other state not with standing that such permit has not been counter signed by the State Transport Authority of that other state.

Wherever a Transport Authority of the reciprocating State grant permit for the Corridor route, the granting Authority shall clearly endorese on the permit that as per 2nd. Proviso to Section 88 (i) of the Motor Vehicles Act, 1988. no counter signature is necessary. The permit issuing Authority while issuing permit for such corridor routes tax for the entire distance shall be recovered as per Schedule of the Act and rules of the concerned State.

13. RULE :

Vehicle of one State running in the other State shall abide by the rules (other than the provision relating to payment of fees and taxes) of the parent State.

14. GENERAL :

(1) The reciprocating State shall accord recognition of tax token, Registration Certificate, Conductor's license, public vehicle Authorisation (Badge) & Certificate of fitness etc. in respect of the vehicles plying in accordance with the terms of this Agreement.

(2) The Registered ladan weight of the vehicle shall not be more than that permitted in the reciprocating State and a conditions to this effect shall be imposed while counter signing the permit.

Signed this agreement in presence of the witness on the above mentioned date.

By order and in the name of the Governor
of Chhattisgarh,

Sd/-
(A. K. Vijaya Vargeeya)
Principal Secretary,
Government of Chhattisgarh,
Transport Department.

By order and in the name of the Governor
of Madhya Pradesh

Sd/-
(Bhageerath Prasad)
Principal Secretary,
Government of Madhya Pradesh
Transport Department.

APPENDIX "A"

S. No.	Name of the Route	K. M.		Total	Reciprocal Agreement of Trip		Permanent Permit No.		Total K. M.		Remark.
		C.G.	M.P.	K. M.	C.G.	M.P.	C.G.	M.P.	C.G.	M.P.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Durg to Rajegaon V/A Ghumka, Khairagarh, Lanji.	88	72	160	04	04	02	02	288	352	
2.	Malajkhand to Durg V/A Saleedri, Dhamdha.	106	40	146	04	04	02	02	160	424	
3.	Mohgaon to Durg V/A Saletekri	115	40	155	04	04	02	02	160	460	
4.	B. Pratappur to Baihar V/A Dalli, Balod, RJN, Gandai, Saletekri.	210	59	269	06	06	03	03	354	1260	
5.	Durg to Balaghat V/A-Dhamdha, Saletekri, Bhaihar.	213	123	236	06	06	03	04	738	678	
6.	Seoni to RPR, V/A-Katangi, Baraseoni B. Ghat, Baihar, Saletekri.	128	215	343	06	06	03	03	1090	768	
7.	Durg to Baihar V/A-Saletekari, Dhamdha.	120	55	175	04	04	02	02	220	480	
8.	RPR. to JBP V/A-Kumari, Dhamdha, Baihar, Bamhani, Mandla, Ghulsagar, Niwas, Kundum.	131	255	386	04	04	04	04	1020	524	
9.	RPR to Mandla V/A-Bamhani, Baihar Dhamdha.	131	168	299	04	04	04	04	672	524	
10.	RPR to Mandla V/A-Bamhani, Baihar, Dhamdha.	131	123	254	04	04	02	02	492	524	
11.	Durg to JBP V/A-Dhamdha, Saletekari, Baihar, Bamhni, Mandla, Niwas.	113	225	368	04	04	02	02	900	452	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12.	Pendra Road to Anuppur V/A-Amarkantak.	70	55	125	06	06	03	03	330	420	
13.	Pendra Road to Chaka V/a-	67	53	120	02	02	01	01	106	134	
14.	Pendra Road to Kotma	62	38	110	10	10	05	05	380	620	
15.	BSP to Shahdol V/A-Kota, Qyochi, Karib, Chabutra, Amarkantak.	120	110	230	04	04	02	02	440	480	
16.	Pendra Road to Ghuraseen	75	57	132	04	04	02	02	228	300	
17.	Pendra to Kolihari	60	54	114	04	04	02	02	216	240	
18.	Pendra Road to Krnjiya.	39	20	59	04	04	02	02	80	156	
19	BSP to JBP V/A-Mungaili, Pandriya Pohri, Chilfi, Gadi, Baihar, Bamhni, Mandla, Nivas.	113	283	396	02	02	02	02	566	226	
20.	BSP to Mandla V/A-Kota, Lamni, Qyachi, Kabir Chabutra, Amarkantak, Dindori, Chabi, Mogaon.	113	154	267	04	04	02	02	616	452	
21.	BSP to JBP V/A-Kota, Qyachi, Kabir, Chabutra, Amarkantak, Dindori, Shahpura, Kundum.	115	278	393	04	04	04	04	1112	460	
22.	Sahdol to Pendra V/A-Venkat Nagar	12	84	96	06	06	03	03	504	72	
23.	Shadol to Manendragarh V/A-Budhar, Anuppur, Jaithari, Marwahi, Byohari, Biriyatola, Rajay Nagar, Laidri.	06	147	153	06	06	03	03	882	36	
24.	Karpa to Pendra V/A-Amarwara, Ladatola, Rajendra Gram, Kargaghat.	06	67	73	08	08	04	04	268	24	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25.	Ladera to Manendragarh V/A-Rajendragarh, Anuppur, Kota, Ram Nagar, Khogapani.	06	102	108	06	06	03	03	612	36	
26.	Manendragarh to Leelatola V/A-Rajendra Gram, Kirar, Anuppur, Kotma, Rajnagar, Ram Nagar.	06	118	124	06	06	03	03	708	36	
27.	Shadol to Pendra V/A-Budar, Chchai, Jaithari, Venkatnagar,	20	110	130	08	08	04	04	880	160	
28.	Manendragarh to Dindori V/A-Ram Nagar, Raj Nagar, Kotma, Anuppur, Rajendra Gram, Gadas, Rai, Amatola, Kodar.	06	153	153	04	04	02	02	612	24	
29.	Shadol to Jabalpur V/A-Rajendra Gram Amarkantak,	50	366	414	04	04	04	04	464	200	
30.	Pendra Road to Anuppur V/A-Venkat Nagar,	19	40	59	04	04	02	02	160	76	
31.	Anuppur to Gorela, Jaithari, Lpha, Venkatnagar, Lalpur.	16	42	58	08	08	04	04	336	128	
32.	Hardi to Pendra V/A-Buhar, Ghapuri, Devhara, Sakra, Jamundi, Anuppur, Jaithari, Venkatnagar.	30	74	104	04	04	02	02	296	120	
33.	Pendera Road to Beriwari V/A-Venket-Nagar, Amadag, Jaithari, Rajendra Gram, Dailaongri, Lila.	19	111	130	04	04	02	02	444	76	
34.	Janakpur to Jaysing Nagar V/A-Budwa, Pasgadi, Byohari, Basputli, Sidhi, Kuveri.	06	101	107	06	06	03	03	606	18	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
35.	Parsi to Shahdol V/A-Budar, Annuppur, Kotma, Lalpada, Amadand, Maroud, Marwa.	17	98	115	04	04	02	02	392	68	
36.	Shahdol to Janakpur V/A-Diyapar, Gohparu, Jaisingh Nagar, Chhara, Kumdri, Sidhi, Band.	16	81	97	04	04	02	02	324	64	
37.	Sidhi to Jankpur V/A-Choupal, Madwas, Hardi, Bhad Sarai, Devgard.	03	105	108	04	04	02	02	420	12	
38.	Sidhi to Manendragarh V/A-Choupal, Madwas, Poudi, Patehara, Madisarai, Devgarh, Janakpur, Kelhari, Kothi, Bejhuri, Khe[illegible]pani, Ghharkahnd.	04	191	195	04	04	02	02	764	16	
39.	Manendragarh to Anuppur.	110	33	143	04	04	02	02	132	440	
40.	Jaisingh Nagar to Kotadol	10	138	148	02	02	01	01	276	20	
41	Yohori to Janakupur	08	240	248	02	02	01	01	480	16	
42.	Rewa to Manendragarh V/A-Hardi, Govindgarh, Byohari, Shahdol.	10	295	305	04	04	04	04	1180	40	
43.	Tirodire to RJN V/A-Lanji	77	160	237	04	04	04	04	640	308	
44.	Shahdol to Manendragarh V/A-Budar, Amlai, Chachai, A'Purkyari, Badas, Kotma, Chhiriyatola, Raj Nagar.	06	114	120		40		20	4560		
45.	JBP to Kawardha V/A-Mandla	60	192	252	06	06	03	03	1152	360	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
46.	Katni to Kawardha V/A-JBP, Mandla.	60	284	344	04	04	04	04	1136	240	
47.	Mandla to RPR V/A-Motinala	177	15	272	04	04	04	04	380	708	
48.	JBP to RPR V/A- Mandla,	177	192	369	10	10	10	10	1920	1770	
49.	Shahdol to Janakpur V/A-Jaisingh-Nagar.	16	81	97	04	04	02	02	324	64	
50.	Durg to JBP V/A-Mandla	197	192	389	08	08	08	08	1536	1576	
51.	BSP to JBP V/A-Pandriya	82	259	341	02	02	02	02	518	164	
52.	Korba to JBP V/A-BSP, Pandariya	204	259	462	02	02	02	02	518	408	
53.	RPR to Ilhabad V/A-BSP, Katak, Shahdol.	230 UP. 45	365	640	02	02	02	02	730	460 UP. 90	
54.	Ambikapur to Allhabad Manendragarh	239 UP. 45	365	649	02	02	02	02	370	478 UP. 90	
55.	BSP to Allhabad V/A-Amarkantak	115 UP. 45	365	525	02	02	02	02	730	230 UP. 90	
56	RPR-Godiya-Seoni-JBP.	112	382	494	06	06	06	06	2302	672	
57.	Shahdol to Marwahi	10	128	138	04	04	02	02	512	40	
58.	Shahdol to Manendragarh V/A-Budar Marjadpur, Jannodi, Girwa, Keshwahi, Semhriya, Devgaon, Pipriya, Kotma, Rajnagar, Ram Nagar, Khogapani.	06	118	124	04	04	02	02	472	24	
	Total				260	300	164	184	38708	19118	

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय [illegible] नांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.